महात्मा गांधी नरेगा अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्र. एफ 21(31)ग्रावि/नरेगा/टेण्डर/पार्ट–।।।/2017

जयपुर, दिनांक : 31 JUL 2020

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत भारत सरकार के स्तर से जारी मास्टर परिपत्र वित्तीय वर्ष 2020–21 के अनुसार सामग्री उपापन संबंधी निर्देशों में संशोधन बाबत।**

संदर्भः **भारत सरकार का मास्टर परिपत्र 2020–21**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी मास्टर परिपत्र 2020–21 के बिन्दु संख्या 7.1.7 (सी) में सामग्री का क्रय ब्लॉक स्तर से समस्त ग्राम पंचायतों की आवश्यकता अनुसार एक साथ निविदा जारी कर दर अनुमोदित करने के निर्देश दिये गये है। इन निर्देशों में आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों को देखते हुए यह आंशिक संशोधन किया जाता है कि :–

1. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सामग्री क्रय हेतु पंचायत समिति स्तर पर निविदा का आमंत्रण एवं निष्पादन ग्राम पंचायतवार विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जावेगा एवं क्रय समिति में लेखा एवं तकनीकी सदस्यों के साथ–साथ संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी को भी सदस्य बनाया जावेगा।
2. मास्टर परिपत्र 2020–21 के सामग्री क्रय से संबंधित बिन्दु संख्या 7.1.7 के अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।

भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किया गया वित्तीय वर्ष 2020–21 का मास्टर परिपत्र नरेगा वेबसाईट पर उपलब्ध है। कृपया उक्त निर्देशों की पालना तुरन्त प्रभाव से आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

(पी.सी. किशन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
3. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
4. परियोजना अधिकारी (लेखा), ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, समस्त।
5. विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

वित्तीय सलाहकार, ईजीएस

Scanned by CamScanner